न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 - 151/2018

अनवान :

1. विजेन्द्र सिंह पुत्र लीलूराम जाति मेघवाल निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. रणवीर पुत्र लीलूराम जाति मेघवाल निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादीगण

बनाम

1. लीलूराम पुत्र भिंयाराम जाति मेघवाल निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. सुमन पुत्री लिलूराम जाति मेघवाल निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र गोयल : वादीगण
निर्णय **दिनांकः** 13.6.18

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 3/3 में खसरा सं0 52/2 तादादी 3.263 है0 खसरासं0 55 तादादी 5.969 है0 कुल तादादी 9.232 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जो कि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है व वादीगण के दादा भियाराम के समय की है। भियाराम की मृत्यु होने के बाद वाद भूमि प्रतिवादी लिलुराम के कर्मा खानदान होने के कारण 4/5 हिस्सा एवं भियाराम की पत्नि अनकोरी के नाम 1/5 हिस्सा खातेदारी कृषिभूमि दर्ज हो गई। पैत्रक कृषि भूमि होने के कारण वादीगण का भी उसमें जन्म से हक व हिस्सा निहित है। कृषि भूमि प्रतिवादी लीलुराम के नाम दर्ज रहने से वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया व प्रतिवादी सं0 2 ने इकबाल दावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में रणवीर पुत्र लिलुराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कणाऊ खाता सं0 3/3 सम्वत् 2072-75 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम कणाऊ प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित कृषिभूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि

सहायक कलक्टर भादरा (हनु.)

है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक की बहन पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम कणाऊ में अपने पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। अपने दावा की पुष्टि हेतु वादी ने जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम कणाऊ प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है उसमें कृषि भूमि वादीगण के दादा भियां वल्द रूपराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में लीलूराम के वारिसान में पत्नि गुलाबी व दो पुत्र विजेन्द्र सिंह व रणवीर व एक पुत्री सुमन होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 3/3 में खसरा सं0 52/2 तादादी 3.263 है0 खसरासं0 55 तादादी 5.969 है0 कुल तादादी 9. 232 है0 बारानी खातेदारी में लिलुराम के नाम 4/5 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है जिसमें अकेले प्रतिवादी सं0 1 लीलुराम के बजाय वादीगण विजेन्द्रसिंह व रणवीर दोनों 3/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 लीलुराम 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादीगण के पक्ष में त्याग की है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने एवं यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण के नाम 3/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.6.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 - 151/2018

अनवान :

1. विजेन्द्र सिंह पुत्र लीलूराम जाति मेघवाल निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. रणवीर पुत्र लीलूराम जाति मेघवाल निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादीगण

बनाम

1. लीलूराम पुत्र भिंयाराम जाति मेघवाल निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. सुमन पुत्री लिलूराम जाति मेघवाल निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण

आज यह मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री राजेन्द्र गोयल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 3/3 में खसरा सं0 52/2 तादादी 3.263 है0 खसरासं0 55 तादादी 5.969 है0 कुल तादादी 9.232 है0 बारानी खातेदारी में लिलुराम के नाम 4/5 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है जिसमें अकेले प्रतिवादी सं0 1 लीलुराम के बजाय वादीगण विजेन्द्रसिंह व रणवीर दोनों 3/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 लीलुराम 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादीगण के पक्ष में त्याग की है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने एवं यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण के नाम 3/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.6.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ